भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 303
दिनांक 04 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

303. श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री नव चरण माझीः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में आरंभ की गई 40 पशुधन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) इससे महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों, विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ को कितना लाभ मिलने की संभावना है;
(ग) इन परियोजनाओं की सहायता के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) का कितना उपयोग किया जाएगा और इन योजनाओं की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित देश में पशुधन क्षेत्र के विकास में क्या भूमिका होगी;
(घ) एनएलएम-ईडीपी डैशबोर्ड के उद्घाटन से देश में, विशेषकर जलगांव लोक सभा जैसे क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के हितधारकों के लिए इन परियोजनाओं के बारे में सूचना के प्रति पारदर्शिता और जन पहुंच में कितनी वृद्धि होगी;
(ङ) सरकार पशुधन क्षेत्र के भीतर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित कर रही है और क्या जलगांव लोक सभा क्षेत्र सहित महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में युवा उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को लक्षित करने वाली विशिष्ट पहलें चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या युवा उद्यमियों और छोटे व्यवसायों की सहायता करने हेतु कोई विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो इस क्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना के तहत हाल ही में कुल 41 पशुधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इनका विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) एनएलएम-ईडीपी और एएचआईडीएफ दोनों को पूरे देश में लागू किया गया है। उद्घाटित 41 परियोजनाओं में से, एएचआईडीएफ के तहत 10 परियोजनाएं महाराष्ट्र से और एक छत्तीसगढ़ से है, जबकि एनएलएम-ईडीपी के तहत 5 परियोजनाएं महाराष्ट्र से हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजन के अलावा पशुधन, पोल्ट्री, आहार और चारा क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। ये, पशुपालन क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और उसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(घ) एनएलएम-ईडीपी डैशबोर्ड, कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन, निगरानी में सुधार और बैंकों तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के पास लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई को सरल बनाने में सहायक होगा। जनता भी अपने क्षेत्र में क्रियान्वित परियोजनाओं को देख सकेगी।

(ङ) और (च) इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार और शिविर, प्रचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग जागरूकता पैदा करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में लाभार्थियों को सुविधा प्रदान करने, लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है। इस संबंध में, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना के तहत जागरूकता और प्रचार के लिए राज्य को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों को निर्देश भी दिए जाते हैं।

विभाग ने लाभार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की स्थापना की है। विभाग ने बैंकों और अन्य एजेंसियों के पास लंबित आवेदनों को ट्रैक करने और उसके लिए सहायता देने हेतु एक प्रणाली भी स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक केंद्र स्तरीय बैंकर्स समिति (सीएलबीसी) का गठन किया गया है। इसके अलावा, हाल ही में, क्षेत्र में एनएलएम-ईडीपी और एएचआईडीएफ योजना को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 13.01.2025 को पुणे, महाराष्ट्र में "उद्यमिता विकास सम्मेलन" आयोजित किया गया था। उक्त सम्मेलन में, लाभार्थियों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए और 21 एनएलएम-ईडीपी परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा किया गया। इसके अलावा, योजना के अधिक से अधिक सफल कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और बैंकों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र भी दिया गया।

एनएलएम-ईडीपी के तहत पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, ऊंट और गधे के प्रजनन फार्म के साथ-साथ आहार और चारा इकाइयों की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। पात्र संस्थाओं में व्यक्ति, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), एसएचजी (स्वयं सहायता समूह), जेएलजी (संयुक्त देयता समूह), एफसीओ (किसान सहकारी संगठन) और धारा 8 कंपनियां शामिल हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर आवेदन कर सकता है।

छोटे व्यवसायों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एनएलएम-ईडीपी को छोटी इकाइयों में संरचित किया गया है। विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध ।

लोक सभा प्रश्न संख्या 303
संसद सदस्य का नाम: श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री नव चरण माझीः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री धर्मबीर सिंहः
उत्तर देने की तिथि: 04.02.2025

राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के अंतर्गत हाल ही में उद्घाटित परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	**आवेदकों का नाम**	**राज्य**	**परियोजना श्रेणी**
1	नारूबासिवी रेड्डी	आंध्र प्रदेश	भेड़ फार्म
2	मिरियाला राम कुमार	आंध्र प्रदेश	पोल्ट्री फार्म
3	दीपांजन साहा	असम	सुअर फार्म
4	हेमन्त कुमार के	कर्नाटक	बकरी फार्म
5	सीमा साहनी	कर्नाटक	सुअर फार्म
6	एम क्षमा रानी	कर्नाटक	पोल्ट्री फार्म
7	सुरेश आर	कर्नाटक	भेड़ फार्म
8	जीत सिंह सिसोदिया	मध्य प्रदेश	आहार और चारा (साइलेज)
9	नवनीत कुमार जैन	मध्य प्रदेश	आहार और चारा (साइलेज)
10	शोभा डांगी	मध्य प्रदेश	बकरी फार्म
11	निमिष चावड़ा	मध्य प्रदेश	बकरी फार्म
12	यशपाल खन्ना	मध्य प्रदेश	पोल्ट्री फार्म
13	गोपाल दिनकर पाटिल	महाराष्ट्र	पोल्ट्री फार्म
14	जगदीश रामराव वारले	महाराष्ट्र	बकरी फार्म
15	ज़ोरिनपुइया	मिजोरम	सुअर फार्म
16	प्रियंकी देब शर्मा	त्रिपुरा	सुअर फार्म
17	बालाजी मुश्कवाद	महाराष्ट्र	बकरी फार्म
18	मोहम्मद सलमान	उत्तर प्रदेश	बकरी फार्म
19	संतोष बापुराव मोरे	महाराष्ट्र	पोल्ट्री फार्म
20	सुनील महल्ले	महाराष्ट्र	बकरी फार्म
21	अतुल मदाने	महाराष्ट्र	बकरी फार्म

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत हाल ही में उद्घाटित परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है:

क्र. सं.	**आवेदकों का नाम**	**राज्य**	**परियोजना श्रेणी**
1	स्काईलार्क हैचरीज़ प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ	नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म
2	केम प्रोसेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात	पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)
3	पुनेरजोत सिंह विर्क	हरियाणा	पशु चारा संयंत्र
4	एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	पशु चारा संयंत्र
5	बेकर्सविले स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
6	गोदरेज टायसन फूड्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म
7	आर्टेवेट थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	पशु चिकित्सा टीकों और औषधि उत्पादन सुविधाओं की स्थापना
8	डलेक्टा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
9	क्लासिक फूड्स	महाराष्ट्र	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
10	यशराज इंडस्ट्रीज	महाराष्ट्र	पशु चारा संयंत्र
11	आकाश रावसाहेब भारते	महाराष्ट्र	नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म
12	एस एंड पी फीड्स प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	पशु चारा संयंत्र
13	कृष्णा डेयरी	महाराष्ट्र	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
14	केमसाई ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	पशु चारा संयंत्र
15	कृषकन्या मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स	महाराष्ट्र	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
16	माँ शाकंभरी फूड्स	ओडिशा	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
17	अयन्ना फ़ार्म्स	पंजाब	नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म
18	एम सी फूड्स	पंजाब	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
19	केशव फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
20	कनवीर फ़ार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	पशु चारा संयंत्र

अनुबंध-II

लोक सभा प्रश्न संख्या 303
संसद सदस्य का नाम: श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री नव चरण माझीः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री धर्मबीर सिंहः
उत्तर देने की तिथि: 04.02.2025

एनएलएम उद्यमिता योजना के तहत विभिन्न इकाई आकार के निम्नलिखित कार्यकलाप पात्र हैं:

i. हैचिंग अंडे और चूजों के उत्पादन के लिए न्यूनतम 1000 पैरेंट लेयर्स के साथ ग्रामीण पोल्ट्री पक्षियों के पैरेंट फार्म, हैचरी, ब्रूडर सह मदर यूनिट की स्थापना।

पोल्ट्री इकाई का आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
1000 + 100	25 लाख रुपए

ii. न्यूनतम 100 मादा एवं 05 नर तथा इसके गुणक में भेड़ एवं बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना निम्नानुसार है।

बकरी/ भेड़ इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
100 +5	10 लाख रुपए
200+10	20 लाख रुपए
300+15	30लाख रुपए
400+20	40 लाख रुपए
500+25	50 लाख रुपए

iii. न्यूनतम 50 मादा और 05 नर सूअर तथा अधिकतम 100 मादा और 10 नर सूअरों के साथ सूअर प्रजनन फार्म की स्थापना। विभिन्न घटकों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा 15.00 लाख रुपये से 30.00 लाख रुपये तक भिन्न-भिन्न है।

सूअर इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
50 मादा सूअर + 5 नर सूअर	15 लाख रुपए
100 मादा सूअर + 10 नर सूअर	30 लाख रुपए

iv. चारा मूल्य संवर्धन इकाइयों की स्थापना जैसे घास (हे)/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक तैयार करना और चारे का भंडारण। अधिकतम सब्सिडी सीमा 50.00 लाख रुपये है।

v. ऊँट, घोड़ा और गधा प्रजनन फार्म की स्थापना

ऊंट इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
10 घोड़ी/ प्रजनन के लिए प्रयुक्त होने वाली घोड़ी + 2 घोड़े	50 लाख रुपए

गधा इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
50 मादा+ 5 नर	50 लाख रुपए

ऊँट इकाई आकार (मादा + नर)	**पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि**
10 मादा + 1 नर (चरवाहों के लिए)	3 लाख रुपए
10 मादा + 1 नर	5 लाख रुपए
50 मादा + 5 नर	25 लाख रुपए
100 मादा + 10 नर	50 लाख रुपए

*****